न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1518 /2026

शिव विशाल आयु लगभग 55 साल पुत्र स्व0 महावीर ग्राम शोभनपुरवा थाना मसौली, जिला बाराबंकी।

——— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–94/2026
धारा–80(2), 85 बीएनएस
व धारा 3/4 डी पी एक्ट
थाना– मसौली,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री दान सिंह
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	27.05.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	04.06.2026

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी ने अपनी पुत्री डाली का विवाह आकाश निवासी शोभनपुरवा से किया था परन्तु उसके पति व परिवार के अन्य सदस्य दहेज से संतुष्ट नहीं थे, अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये की मांग करते थे और इसके लिये प्रताड़ित करते थे। उसकी पुत्री की बात उसके पति से दिनांक 24.04.2026 को हुयी और उसके बाद उसकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली, सीएचसी ले गये जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसकी पुत्री का लिखा सुसाईड नोट प्राप्त हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा न तो दहेज की मांग की गयी है न ही किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, विवाह के पश्चात से कोई मतभेद मृतका से नहीं था। मृतका का पति कुर्सी रोड लखनऊ में अध्यापक है तथा मृतका सार्वजनिक विद्यालय में अध्यापक थी। आवेदक/अभियुक्त का पुत्र व मृतका दोनों यूपीएससी की तैयारी साथ कर रहे थे। दिनांक 20.04.2026 को मृतका की हंसी खुशी

बात उसकी सास से हुयी थी। सुसाईड नोट में कहीं पर दहेज मांगने या प्रताड़ित करने की बात नहीं लिखी है। मृतका की बातचीत की कॉल रिकार्डिंग व चैट उपलब्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्त मृतका का ससुर है तथा दहेज में अतिरिक्त एक लाख रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। मृतका, अभियुक्त के साथ निवास करती थी। मृतका द्वारा सुसाईड नोट में घटना के बावत उल्लेख किया गया है। मृतका की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुयी है। मृतका के गले पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिगेचर मार्क पाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त मृतका का ससुर है तथा अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये मांगने व प्रताड़ित करने का अभियोग है। मृतका द्वारा सुसाईड नोट में अभियुक्त का नाम अंकित किया गया है। सुसाईड नोट में मृतका द्वारा जो उल्लिखित किया गया है उसके आधार पर यह तथ्य दर्शित हो रहा है कि *मृतका जब से ससुराल आयी है किसी ने उसे अपनाया नहीं और सभी लोग मिलकर उसे टार्चर करते थे और उसे पंचाली होने का आरोप लगाते थे, गाली देते थे, चरित्रहीन बना दिया, उसे मरने के लिये मजबूर किया गया, उसकी मौत के जिम्मेदार उसके पति, ननद, सास व ससुर हैं*। केसडायरी के साथ सुसाईड नोट की छाया प्रति उपलब्ध है जिस पर मृतका के हस्ताक्षर हैं। मृतका के गले पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिगेचर मार्क पाया गया है। मृतका की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुयी है। अपराध दहेज हत्या से सम्बन्धित है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त शिव विशाल उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–04.06.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899